MJC 977/2026
लीलाबाई वि. यूनाईटेड

10.08.2026.. आवेदक सुरेश पिता स्व. सियानंद सहित श्री राधेश्याम यादव अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होने से आवेदन आज सुनवाई हेतु लिया गया।

प्रकरण में मूल अभिलेख प्राप्त नहीं।प्रकरण का विनिष्टीकरण किया जा चुका है।

आवेदक अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र आवेदक की एफडीआर की राशि का अवधिपूर्व भुगतान बाबद पेश किया।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक सुरेश के पिता स्व. सियानंद की मृत्यु हो जाने से मृतक के वैध वारिस है। प्रार्थी को परिवार के आवास हेतु अपनी पैत्रक भूमि पर मकान का निर्माण करवाना चाहता है जिनके द्वारा निर्माण में लगभग 1,00,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है। निर्माण के संबंध में प्रार्थी ने खर्च होने वाले रूपयों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के पास जमा पूंजी अत्यंत कम है। आवेदक के पास उक्त एफडीआर के अतिरिक्त अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है।

आवेदक के नाम से जो राशि एफडीआर की गयी थी उसका समयपूर्व भुगतान कराना चाहते हैं। आवेदक वयस्क होकर समझदार व्यक्ति है उसके द्वारा अवार्ड राशि का दुरूपयोग किये जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि सुरेश के नाम से जमा एफडीआर कमांक **880556110005803** रूपये **1,00,000/-** का अवधिपूर्व ब्याज सहित भुगतान किया जाये।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक द्वारा समयपूर्व एफडीआर के भुगतान हेतु जो कारण दर्शित किया गया है वह सदभाविक है। ऐसी दशा में आवेदक को उनकी सावधि जमा राशि ब्याज सहित उसके बचत खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है। समय पूर्व एफडीआर के भुगतान हेतु संबंधित शाखा प्रबंधक बैंक को पत्र जारी किया जाये। आवेदक की पहचान श्री राधेश्याम यादव अधिवक्ता द्वारा की गयी।

प्रकरण सी.आई.एस. पंजी से कम कर अभिलेखागार भेजा जाये।

(मनीष शर्मा)
2वें एम.ए.सी.टी., इंदौर